उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-27/2017/1997/तीस-4-2017-135/89
लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 56 के उप नियम (8) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस निमित्त जारी की गई समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करके नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित सदस्यों से समाविष्ट स्तम्भ-2 में उल्लिखित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन क्रमश: स्तम्भ-4 और 5 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित अपने-अपने सम्भागों और क्षेत्रों में शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये करते हैं :-

अनुसूची

क्र0 सं0	संभागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम	संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य	संभाग का नाम	क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ	1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	लखनऊ	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुरखीरी और रायबरेली जिले।
2	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर	1. आयुक्त, कानपुर मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज और औरैया जिले।
3	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली	1. आयुक्त, बरेली मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	बरेली	बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ और पीलीभीत जिले।
4	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, मेरठ	1. आयुक्त, मेरठ मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	मेरठ	मेरठ और बागपत जिले।
5	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, वाराणसी	1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	वाराणसी	वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चन्दौली जिले।
6	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, फैजाबाद	1. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	फैजाबाद	फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर और अमेठी जिले।
7	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, इलाहाबाद	1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	इलाहाबाद	इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जिले।
8	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,	1. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य	गोरखपुर	गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज जिले।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	गोरखपुर	3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य		
9	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देवीपाटन (गोण्डा)	1. आयुक्त, देवीपाटन(गोण्डा) मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	देवीपाटन (गोण्डा)	बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोण्डा जिले।
10	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, गाजियाबाद	1. आयुक्त, मेरठ मण्डल - अध्यक्ष 2. जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद - सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	गाजियाबाद	गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर और हापुड जिले।
11	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, झाँसी	1. आयुक्त, झाँसी मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	झाँसी	झाँसी, जालौन और ललितपुर जिले।
12	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अलीगढ़	1. आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	अलीगढ़	अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज जिले।
13	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा	1. आयुक्त, आगरा मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	आगरा	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी जिले।
14	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, आजमगढ़	1. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	आजमगढ	आजमगढ़, बलिया और मऊ जिले।
15	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बस्ती	1. आयुक्त, बस्ती मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर जिले।
16	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, चित्रकूटधाम	1. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	चित्रकूटधाम (बाँदा)	चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर और महोबा जिले।
17	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, मिर्जापुर	1. आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	मिर्जापुर	मिर्जापुर, सोनभद्र और संतरविदास नगर जिले।
18	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, मुरादाबाद	1. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	मुरादाबाद	मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल जिले।
19	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, सहारनपुर	1. आयुक्त, सहारनपुर मण्डल - अध्यक्ष 2. मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट- सदस्य 3. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) - सदस्य	सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले।

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-27/2017/1997(1)/तीस-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या-27/2017/1997(2)/तीस-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
4- निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.27/2017/1997/XXX-4-2017-135/89 dated, October 27, 2017.

Notification

No.27/2017/1997/ xxx-4-2017-135/89
Lucknow: Dated: October 27, 2017

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 56 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor in suppression of all previous Notifications issued in this behalf is pleased to constitute the Regional Transport Authorities mentioned in column-2 consisting of the members mentioned against each in column-3 to exercise and discharge their powers and functions in their respective regions and areas mentioned against each in column-4 and 5 respectively of the Schedule below:-

SCHEDULE

Sr. No.	Name of the Regional Transport Authority	Members of the Regional Transport Authority	Name of the Region	Area
1	2	3	4	5
1.	Regional Transport Authority, Lucknow	1- Commissioner, Lucknow - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Lucknow	Lucknow, Unnao, Hardoi, Sitapur, Lakhimpur Kheri and Raebarelli Districts.
2.	Regional Transport Authority, Kanpur	1- Commissioner, Kanpur - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Kanpur	Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Itawah, Farrukhabad, Kannauj and Auraiyya Districts.
3.	Regional Transport Authority, Bareilly	1- Commissioner, Bareilly - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Bareilly	Bareilly, Shahjahanpur, Badaun and Pilibhit Districts.
4.	Regional Transport Authority, Meerut	1- Commissioner, Meerut - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Meerut	Meerut and Bagpat Districts.
5.	Regional Transport Authority, Varanasi	1- Commissioner, Varanasi - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Varanasi	Varanasi, Gazipur, Jaunpur and Chandauli Districts.
6.	Regional Transport Authority, Faizabad	1- Commissioner, Faizabad - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone)	Faizabad	Faizabad, Sultanpur, Barabanki, Ambedkar Nagar and Amethi Districts.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		- Member		
7.	Regional Transport Authority, Allahabad	1- Commissioner, Allahabad - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Allahabad	Allahabad, Fatehpur, Pratapgarh and Kaushambi Districts.
8.	Regional Transport Authority, Gorakhpur	1- Commissioner, Gorakhpur - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Gorakhpur	Gorakhpur, Kushinagar, Deoria and Mahrajganj Districts.
9.	Regional Transport Authority, Devipatan (Gonda)	1- Commissioner, Devipatan (Gonda) - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Devipatan (Gonda)	Gonda, Bahraich, Balrampur and Shrawasti Districts.
10.	Regional Transport Authority, Ghaziabad	1- Commissioner, Meerut - Chairman 2- District Magistrate, Ghaziabad - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Ghaziabad	Ghaziabad, Bulandsahar, Gautambuddh Nagar and Hapur Districts.
11.	Regional Transport Authority, Jhansi	1- Commissioner, Jhansi - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Jhansi	Jhansi, Jalaun and Lalitpur Districts.
12.	Regional Transport Authority, Aligarh	1- Commissioner, Aligarh - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Aligarh	Aligarh, Etah, Hathras and Kasganj Districts.
13.	Regional Transport Authority, Agra	1- Commissioner, Agra - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Agra	Agra, Firozabad, Mathura and Mainpuri Districts.
14.	Regional Transport Authority, Azamgarh	1- Commissioner, Azamgarh - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Azamgarh	Azamgarh, Baliya, and Mau Districts.
15.	Regional Transport Authority, Basti	1- Commissioner, Basti - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Basti	Basti, Sidharth Nagar and Sant Kabir Nagar Districts.
16.	Regional Transport Authority, Chitrakoot Dham	1- Commissioner, Chitrakoot Dham - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Chitrakoot Dham	Chitrakoot, Banda, Hameerpur and Mahoba Districts.
17.	Regional Transport Authority, Mirzapur	1- Commissioner, Mirzapur - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Mirzapur	Mirzapur, Sonbhadra and Santrabidas Nagar Districts.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18.	Regional Transport Authority, Moradabad	1- Commissioner, Moradabad - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Moradabad	Moradabad, Rampur, Bijnaur, Amroha and Sambhal Districts.
19.	Regional Transport Authority, Saharanpur	1- Commissioner, Saharanpur - Chairman 2- District Magistrate of Divisional Headquarter - Member 3- Deputy Transport Commissioner (Zone) - Member	Saharanpur	Saharanpur, Muzaffarnagar and Shamli Districts.

By Order,

(Aradhana Shukla),
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।